



श्री. राजेंद्र गजेंद्र सप्रेम मध्याह्निक पालियर

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

दिनांक 10/11/73

राजस्थान सरकार, राजस्थान

दिनांक 10/11/73

10

कलकत्ता कोट

राजस्थान सरकार

राजस्थान

राजस्थान

राजस्थान सरकार, राजस्थान

राजस्थान सरकार, राजस्थान

राजस्थान सरकार

राजस्थान

राजस्थान सरकार, राजस्थान

राजस्थान सरकार, राजस्थान

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

दिनांक 08.02.2013

विषय - राजस्व

संख्या -

संख्या -

संख्या -  
संख्या -  
संख्या -


प्रकरण

प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह पुनरावलोकन इस प्रकार प्रकरण संख्या 155 का 12 में पारित आदेश दिनांक 03 जनवरी, 2013 के विरुद्ध म0प्र0 नू-राजस्व संहिता, 1959 (संशोधन आगमि संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. समयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण की तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवश्यक स्वीकार किया जा सकता है :-

1. कोई एवं महत्वपूर्ण बात पराक्षय का पता चलना जो उस समय प्रकरण के आदेश पारित किया गया था सम्बन्धित तथ्यता के पश्चात प्राप्त नहीं मिल पाई थी।
2. प्रकरण से प्रकट कोई भूल/ गलती।
3. कोई अन्य परीप्त कारण।

आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण पर उपर्युक्त आधारों में से कोई आधार विद्यमान होगा नहीं। अतः उपर्युक्त आवेदन में कोई भी गलती नहीं होने से पुनरावलोकन प्रदान करने का निर्णय किया जाता है। समग्र सूचित है।

  
सचिव